

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्नीस'

[ 22/3/2017 ]

प्रश्न सं. [क. 5737]

// परिशिष्ट "अ" //

// अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति / संलग्नीकरण प्राचार्य / व्याख्याता की सूची //

// विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5737 //

क	प्राचार्य / व्याख्याता का नाम	पदनाम	मूल पदस्थ संस्था का नाम	प्रतिनियुक्ति / संलग्नीकरण पश्चात् पदस्थ संस्था का नाम	वर्तमान पद पर पदस्थ होने का दिनांक	रिमाबां
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री डी.एस.राव	प्रथम श्रेणी प्राचार्य	-	जिला परियोजना समन्वयक (सर्व शिक्षा अभियान) अनूपपुर	22.08.2014	सर्व शिक्षा अभियान अनूपपुर में प्रतिनियुक्ति
2	श्री यू.के.तिवारी	व्याख्याता	शा.सी.एल.के.उ. मा.वि.बिजुरी	ज.शि.कं. कोतमा	03.04.2012	सर्व शिक्षा अभियान अनूपपुर में प्रतिनियुक्ति
3	डॉ. असफाक अहमद	व्याख्याता	उ.मा.वि.चौलना	उत्कृष्ट उ.मा.वि. जैतहरी	22.04.2013	प्रभारी प्राचार्य उत्कृष्ट उ.मा.वि.जैतहरी
4	श्री एल.डी.द्विवेदी	व्याख्याता	उ.मा.वि.चन्दाई	उ.मा.वि.पटनाकला	09.04.2012	प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि.पटनाकला
5	श्री पी.एल.गुप्ता	व्याख्याता	उ.मा.वि.कन्या जैतहरी	हाईस्कूल देवहरा	31.07.2015	प्रभारी प्राचार्य हाईस्कूल देवहरा
6	श्री घनश्यामदास पटेल	व्याख्याता	उ.मा.वि. बालक जैतहरी	हाईस्कूल छिल्या	30.04.2015	प्रभारी प्राचार्य हाईस्कूल छिल्या
7	श्री शिरीष श्रीवास्तव	व्याख्याता	उ.मा.वि. निगवानी	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर	16.01.2015	प्रभारी सहायक संचालक शिक्षा आदिवासी विकास अनूपपुर के पद पर
8	श्री बालेन्दु दुबे	व्याख्याता	उ.मा.वि. जैतहरी	उ.मा.वि.माडल जैतहरी	26.09.14	प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. माडल जैतहरी
9	श्री भोग सिंह	व्याख्याता	उ.मा.वि.लखौरा	उ.मा.वि.माडल पुष्पराजगढ़	11.07.16	प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. माडल पुष्पराजगढ़

सहायक आयुक्त  
आदिवासी विकास अनूपपुर

*(Handwritten Signature)*  
\*  
\*

परीशिष्ट-0

(3)

मध्य प्रदेश शासन  
आदिम जाति तथा अनुजा0कल्याण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 4-25/2008/1/25,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8/4/2008

आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय-गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्त पर पदस्थ ध्याख्यता एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण।

गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न/प्रतिनियुक्त पर पदस्थ व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के संबंध में विभागीय निर्णय लिया गया है कि कोई भी व्याख्याता / शिक्षक, शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त न तो कहीं संलग्न रहें और न ही गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी व्याख्याता / शिक्षक अन्य स्थान, विभाग में, अथवा अन्य दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्त पर भेजे गये हैं उन सब की संवायें 01 अप्रैल 2008 से हटाकर उन्हें शैक्षणिक कार्य में लगाया जाये।

प्राचार्यों को छोड़कर कोई भी व्याख्याता अथवा शिक्षक अन्य कहीं भी शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करता पाया गया तो संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी की जबाबदेही होगी। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

  
(जे०एन०कांसोटिया)  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
आदिम जाति तथा अनुजा०कल्याण विभाग  
भोपाल, दिनांक 8/4/2008

AD P  
DCC/ADP

पू० क्रमांक एफ 4-25/2008/1/25,  
प्रतिलिपि:-


1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म०प्र०शासन आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास/संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान/ आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें म०प्र०भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
7. समायोजक, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल/ जबलपुर/ इन्दौर/ खालियर/ रीवा/ उज्जैन/ सागर।
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश।
10. श्रीमती मंजुलता राधव व्याख्याता कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर मध्यप्रदेश।
11. आर्डर बुक/स्थापना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव  
क्रमांक 535  
दिनांक 11/4/08

क्रमांक 2

21/4/08

AD-442  
22/4/08

  
मध्य प्रदेश शासन

आदिम जाति तथा अनुजा०कल्याण विभाग